

<p>तारीख हुवम</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज</p>
<p>27/5/20</p>	<p>उभय पक्ष उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27-5-20 को पेश हो।</p> <p>सिंडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
<p>8-8-20</p>	<p>उभय पक्ष उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-8-20 को पेश हो।</p> <p>सिंडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
<p>29-8-20</p>	<p>उभय पक्ष उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।</p> <p>सिंडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
<p>14-8-20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थी का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे शा-पठ किया गया, तबसीलपार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-पठ किया गया, अप्रार्थीगण को खिन्नी मर्तबा आजाणे फिलाफी जाने उपरान्त भी अनुपस्थित, इनडे विकर एक तरफा कार्यवाही डिपे जाने के अडिश् डिपे जाते हैं वकील प्रार्थिया का प्रार्थना फा स्वीकार किया जाकर निर्णयक से लिखा जाकर शा-पठ किया गया।</p> <p>पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

गैरवासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 178/19 प्र-पत्र

1- श्रीमती सोहनी व. श्री शंकरलाल बागोरिया निवासी - बागोर तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती प्रेम देवी व. श्री मोहन घोषी निवासी - बागोर तहसील - माण्डल

2- राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर II पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 7688/6030 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.12.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर II पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 7688/6030 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागोर 4500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा